

महाविद्य अविधायक का
अतः पत्रावली अब पूर्व आदेशानुसार
दिनांक 20/6/25 को पेश करें।

20/6/25 पत्रावली पेश हुई। उभय पक्ष कारण उपस्थित
पक्षी का मूल वाद निर्णय किया जा चुका है
इसलिए पक्षी के प्राप्ति अर्थात् निषेधात्मक
का कोई ऑफिस शेष नहीं रहे जहाँ।
अतः अर्थात् निषेधात्मक खारिज की जा रही है
पक्षी के मूल श्रुत होकर दर्ज न से कर होकर
क्षेत्र दफ्तर है।

A

उपस्थित अधिकारी
सौरभ तिवारी

